(42)

न्यायालय राजस्व मण्डल, म०प्र० ग्वालियर

समक्ष

एस०एस०अली

सदस्य

प्रकरण कमांक : निगरानी - 4774/ 2018/जबलपुर/ भू०राज० - विरूद्ध

आदेश दिनांक 6–7–18 पारित व्दारा - अपर आयुक्त , जबलपुर संभाग

जबलपुर - प्रकरण कमांक 268 अ–6/2015–16 अपील

1– श्रीमती किरण वाई पत्नि माखन सोनकर

2– श्रीमती रामप्यारी वाई पत्नि श्रीनाथ सोनकर

दोनों पुत्रियॉ स्व. बड़कू भैयार उर्फ हीरामन सोनकर

मकान नं. 414/1 राधाकृष्ण वार्ड थाना हनुमान ताल

भान तलैया जबलपुर मध्य प्रदेश

——आवेदकगण

विरूद्व

बिनोद कुमार सोनकर पुत्र स्व. बडकू उर्फ हीरामन सोनकर

म.नं. 226 अच्छेलाल सोनकर पूर्व विधायक के घर के सामने

भरतीपुर बड़ी ओमती जबलपुर

——अनावेदक

(आवेदकगण के अभिभाषक श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा)

(अनावेदक के अभिभाषक श्री अजय मिश्रा)

आ दे श

(आज दिनांक 6–2– 2019 को पारित)

1/ यह निगरानी अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के प्रकरण कमांक 268 अ–6/2015–16 अपील में पारित आदेश दिनांक 6–7–18 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक ने तहसीलदार जबलपुर को आवेदन प्रस्तुत मांग की कि उसके पिता स्वर्गीय बड़कू भैया उर्फ हीरामन सोनकर ने दिनांक 14 अप्रैल, 2000

को बसीयत की है, बसीयत के आधार पर नामान्तरण किया जावे। नायव तहसीलदार नजूल जबलपुर ने प्रकरण कमांक 335 अ–6 / 06–07 पॅजीबद्व किया तथा जांच एंव सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 7–5–07 पारित किया तथा बसीयत दिनाक 14–4–06 के आधार पर बसीयतग्रहीता अनावेदक का नामांत्रण स्वीकार किया। इस आदेश के विरूद्व आवेदक क–1 ने अनुविभागीय अधिकारी जबलपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी जबलपुर ने प्रकरण कमांक 44 अ–6 / 12–13 अपील में पारित आदेश दिनांक 9–12–15 से नायब तहसीलदार नजूल जबलपुर का आदेश दिनांक 7–5–07 निरस्त कर दिया तथा स्वर्गीय बड़क भैया उर्फ हीरामन सोनकर के समस्त वारिसान का समान भाग पर नामान्तरण स्वीकार किया। इस आदेश के विरूद्व अनावेदक ने अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की।

अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग के न्यायालय में कार्यवाही के दौरान म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 32 सपठित व्यवहार प्रकिया संहिता आदेश 1 नियम 10 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत हुआ, जिस पर पेशी 27–1–17 को उभय पक्ष की सुनवाई हेतु पेशी [illegible] नियत की गई। इस अंतरिम आदेश पर से अनावेदक ने माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में रिट याचिका कमांक 6956 / 17 प्रस्तुत की, जिसमें पारित आदेश दिनांक 24–4–2018 से पिटीशन स्वीकार करते हुये म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 32 के आवेदन का चार सप्ताह में निराकरण के आदेश हुये। माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के आदेश के प्रकाश में अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर ने पक्षकारों को सुना तथा आदेश दिनांक 6–7–2018 पारित करके निर्धारित किया कि उभय पक्षों के बीच वादोक्त संपत्ति को लेकर व्यवहार वाद कमांक 6 ए / 2014 प्रचलित है एंव माननीय व्यवहार न्यायालय के आदेश राजस्व न्यायालयों पर बंधनकारी है जिसके कारण राजस्व न्यायालय में अपील प्रकरण प्रचलित रखा जाना उचित न होना मानते हुये प्रकरण समाप्त कर दिया। अपर आयुक्त जबलपुर संभाग, जबलपुर के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3 / निगरानी मेमो में अंकित आधारों के कम में उभय पक्ष के अभिभाषकों ने लिखित तर्क प्रस्तुत किये है, जिनके साथ अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया।

4 / आवेदकगण के अभिभाषक ने लेखी बहस में बताया है कि अनावेदक ने स्वर्गीय बड़क भैया उर्फ हीरामन सोनकर की मृत्यु दिनांक 4–7–06 के वाद तहसीलदार नजूल को 12 [illegible]

60 डिसिमल भूमि पर फर्जी बसीयतनामा दिनांक 14–4–06 के आधार पर नामान्तरण का आवेदन दिया तथा नायव तहसीलदार नजूल ने आदेश दिनांक 7–5–06 पारित करके उक्त भूमि बिनोद कुमार के नाम कर दी। बिनोद कुमार सोनकर ने झूँठा शपथ पत्र देकर बताया था कि हम दो भाईयों के अतिरिक्त हमारे पिता के कोई संतान नहीं है जबकि अनावेदक बिनोदकुमार 9 भाई बहनें हैं जो स्कूल दाखिले के रजिस्टर से प्रमाणित है। विवादित बसीयत दिनांक 14–4–06 अपॅजीकृत है अनावेदक बिनोद व्दारा अपने अन्य भाई बहनों के होने के संबंध में तथ्य छिपाते हुये झूँठा आवेदन विचारण न्यायालय में दिया है जिससे बसीयत संदिग्ध है। विवादित बसीयत दिनांक 14–4–06 में बसीयतकर्ता बड़कू भैयार उर्फ हीरामन सोनकर के हस्ताक्षर आवेदिका किरण व्दारा पेश किये गये तथा पंजीकृत सुधार पत्र जो बड़कू भैया ने अपने जीवनकाल में उप पंजीयक कार्यालय में निष्पादित किया था जिसमें काफी भिन्नता है। लेखी बहस के अंत में कुल 12 एकड़ 60 डिसिमल भूमि पर हिस्सा 1/8 मालिक घोषित किये जाने की मांग की गई।

अनावेदक के अभिभाषक ने लेखी बहस में बताया है कि मौजा सगड़ा स्थित विवादित भूमि में से आधी भूमि लगभग 6 एकड़ अनावेदक के स्वामित्व व आधिपत्य में पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 5–8–93 से चला आ रहा है। अनावेदक के पिता व्दारा उक्त मौजा की लगभग 12 एकड़ 60 डिसमिल भूमि अनावेदक व अनावेदक के पिता के नाम दर्ज है उसे लगभग 42–43 वर्ष पूर्व विक्रय कर दिया गया था जिसके आधार पर उक्त भूमि केता के नाम पर दर्ज हो गई थी जिसे अनावेदक व्दारा वर्ष 1990 में पुनः क्रय कर स्वामित्व प्राप्त किया गया था। तहसीलदार गोरखपुर के समक्ष राजस्व प्रकरण कमांक 335 अ 6/06–06 में विधिवत इश्तहार का प्रकाशन हुआ है एंव नामान्तरण आदेश दिनांक 7–5–07 पारित किया गया है जिसके आधार पर अनावेदक का नाम समस्त राजस्व अभिलेख में दर्ज हुआ है। लेखी बहस के अंत में अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के प्रकरण कमांक 268 अ–6/2015–16 अपील में पारित आदेश दिनांक 6–7–18 को विधि अनुरूप बताते हुये यथावत् रखे जाने की मांग रखी गई है।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों व्दारा प्रस्तुत लिखित तर्को के कम में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेखों के अवलोकन से परिलक्षित है कि माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर व्दारा रिट याचिका कमांक 6956/17 में पारित आदेश दिनांक 24–4–2018 के पालन में अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग , जबलपुर ने उभय पक्ष को म0 प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 32 के

आवेदन पर सुना है तथा आदेश दिनांक 6–7–18 से संहिता की धारा 32 के आवेदन का निराकरण करते हुये अपील प्रकरण को प्रचलन योग्य इसलिये नहीं माना है क्योंकि वाद विचारित संपत्ति पर उभय पक्ष के बीच स्वत्व को लेकर व्यवहार वाद कमांक 6 ए/2014 प्रचलित है। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 110 में व्यवस्था दी गई है कि नामान्तरण का मूल उद्वेश्य अधिकार अभिलेख को अद्यतन रखना है।

1. **मानिक लाल विरूद्व राजाराम 2003 रा0नि0 383 उच्च न्यायालय एंव देवकी बाई विरूद्व केशरीवाई जे0एल0जे0 106 , उपरासी वाई विरूद्व विराजीवाई 1991 रा. नि. 131 पर माननीय उच्च न्यायालय के न्याय दृष्टांत हैं कि नामान्तरण न होने से किसी व्यक्ति का हक या अधिकार नष्ट नहीं होता है क्योंकि नामान्तरण हक का अर्जन नहीं कराता।**
2. **शॉतिवाई विरूद्व फूलावाई 2008 रा0नि0 33 एंव भॅवरलाल विरूद्व कस्तूरी बाई 2008 रा0नि0 94 पर माननीय उच्च न्यायालय के न्याय दृष्टांत हैं कि गलत व्यक्ति के पक्ष में नामान्तरण से सही स्वामी के अधिकार प्रभावित नहीं होते हैं, नामान्तरण मात्र राजस्वीय उद्वेश्य के लिये है। नामान्तरण आदेश न्यायिक आदेश नहीं है। यह हक प्रदान नहीं करता। सिविल न्यायालय को हक विनिश्चत करने की अधिकारिता है।**

विचाराधीन संपत्ति को लेकर पक्षकारों के बीच व्यवहार वाद कमांक 6 ए/2014 प्रचलित है एवं माननीय व्यवहार न्यायालय से जो भी आदेश होंगे, तद्नुसार राजस्व अधिकारियों पर व्यवहार न्यायालय के आदेश बंधनकारी होने से राजस्व अभिलेख में तद्नुसार पालन होगा, जिसके कारण अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर पारित आदेश दिनांक 6–7–18 में हस्तक्षेप का औचित्य नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एवं अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर व्दारा प्रकरण कमांक 268 अ–6/2015–16 अपील में पारित आदेश दिनांक 6–7–18 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस०एस०अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर